श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर महोदय श्री प्रमोद कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोजना पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ मकान व दरवाजे पर रखकर डराने धमकाने के संबंध में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

प्रेस नोट

थाना सौजना जनपद ललितपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ललितपुर श्री प्रमोद कुमार के कुशल निर्देशन मे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर एंव क्षेत्राधिकारी महरौनी महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे जनपद /थाना क्षेत्र मे अवैध कार्यो की रोकथाम हेतु थाना सौजना थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया था गठित टीम द्वारा अपराध एंव अपराधियो की रोकथाम हेतु दि0 08/06/2021 को मु0अ0सं0 28/2021 धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व मु0अ0सं0 33/2021 धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व 435 IPC से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभि0गण--नन्दराम यादव पुत्र स्व0 श्री भइया लाल यादव निवासी रानीकोडर थाना कोतवाली तालवेहट जिला ललितपुर व बन्टीराजा उर्फ बलबन्त सिंह पुत्र श्री जण्डैल सिंह निम छापछौल थाना सौजना जनपद ललितपुर की तलाश की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर टीम प्रभारी उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा क्योलारी तिराहा के पास समय करीब 05.40 बजे सुबह अभि0गण नन्दराम यादव पुत्र स्व0 श्री भइया लाल यादव निवासी रानीकोडर थाना कोतवाली तालवेहट जिला ललितपुर व बन्टीराजा उर्फ बलबन्त सिंह पुत्र श्री जण्डैल सिंह नि0 छापछौल थाना सौजना जनपद ललितपुर को गिरफ्तार किया गया। पूंछतांछ कर दोनों अभियुक्तो द्वारा जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हम दोनों की ग्राम छापछौल की कल्लू की पुत्री व बादी मुकदमा सोनू साहू की पत्नी से फोन पर बात होती थी बातो बातो में हम दोनो उन दोनो को चाहने लगे तथा कल्लू की पुत्री ने नन्दराम के साथ भाग कर शादी करने का आस्वाशन दिया था नन्दराम ने पैसा व कुछ जेवरात भी कल्लू की पुत्री व बादी मुकदमा सोनू साहू की पत्नी को दिये किन्तु जब दोनो अभि0 को पता चला कि कल्लू की पुत्री की शादी कहीं और तय हो गयी है तो दोनो अभियुक्तो द्वारा डराने धमकाने के लिये दानामेण्ट को बादी मुकदमा सोनू साहू व साक्षी दयाराम साहू के दरवाजे पर रखा था। दानामेण्ट बन्टी उर्फ बलवन्त ने म0प्र0 के मछली पकडने वाले व्यक्ति से लेकर नन्दराम को दिया था बंटी राजा उपरोक्त से म0प्र0 के व्यक्ति का नाम पता पूंछा तो नाम पता नही बता सका। दोनो अभियुक्तो द्वारा कल्लू की पुत्री की शादी दूसरी जगह तय होने के कारण दोनों घटनाओं को कारित किया गया है। दोनो अभियुक्त युवा एवं शातिर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।

1.गिरफ्तार अपराधी का नाम व पता –

1 नन्दराम यादव पुत्र स्व0 भइया लाल यादव निवासी रानीकोडर थाना कोतवाली तालवेहट जिला ललितपुर

2. बन्टीराजा उर्फ बलबन्त सिंह पुत्र श्री जण्डैल सिंह नि0ग्राम छापछौल थाना सौजना जनपद ललितपुर

2.अभियुक्त का अपराध करने का तरीका_-अभि0गण द्वारा विस्फोटक पदार्थ मकान / दरवाजे पर रखकर डराना व धमकाना विस्फोटक कारित करना।

3.अभियुक्त से बरामदगी का विवरण- निल

4.अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 28/2021 धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधि0

2. मु0अ0सं0 33/2021 धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधि0 व 435 IPC

5. गिरफ्तार करने वाले टीम के अधिकारी/कर्मचारी गण का नाम –

01. SO सत्यप्रकाश शर्मा थाना सौजना जिला ललितपुर

02. उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना सौजना जिला ललितपुर

03. का0 874 प्रदीप कुमार थाना सौजना जिला ललितपुर

04 का0 1240 राहुल सिंह थाना सौजना जिला ललितपुर

05. रि0का0 शिवा मोर्य थाना सौजना जनपद ललितपुर